

# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

नवीन सम्बद्धता/सीट अभिवृद्धि हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	महाविद्यालय का नाम	
2.	महाविद्यालय का स्थायी पता पिन कोड सहित	
3.	महाविद्यालय के टेलिफोन/मोबाईल/फैक्स नं.	
4.	महाविद्यालय की वेबसाइट का नाम	
5.	महाविद्यालय का ई-मेल पता	
6.	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष (यदि पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त है)	
7.	महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति (अद्यतन प्रति संलग्न है)	
8.	निरीक्षण का दिनांक	
9.	(i) संकाय जिनमें सम्बद्धता निवेदित है	/
	(ii) विषय जिसके लिए सम्बद्धता चाही गई है	/
	(iii) सत्र जिसके लिए सम्बद्धता चाही गई है	
	(iv) वर्तमान में यदि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा किसी संकाय/विषय) कक्षा में संबद्धता प्राप्त है तो उसका उल्लेख करें (संकाय/विषय/कक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों का स्पष्ट उल्लेख करें)	
10.	विषय/विषयों में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु पूर्व में दिए गए आवेदन पत्र का उल्लेख करें यदि कोई हो	
11.	विषय के अध्ययन की आवश्यकता	
	(i) पूर्व में पढ़ाए जा रहे विषयों का विवरण	
	(ii) स्थानीय संस्थाओं में पढ़ाये जा रहे विषयों का विवरण	
12.	(i) प्रस्तावित विकास के संदर्भ में महाविद्यालय में उपलब्ध वित्तीय संसाधन	
	(ii) वर्तमान वित्तीय स्थिति	
	(iii) वर्तमान में उपलब्ध आरक्षित कोष	
	(a) नगद/बैंक में अधिशेष	
	(b) न्यास की प्रतिभूतियों/स्थाई जमा के रूप में	
	(c) पंजीकृत अचल सम्पत्ति	
	(iv) प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तीय संसाधन	
13.	प्रबंधन (निजी संस्थाओं के मामले में)	
	(i) क्या प्रबंध निकाय पंजीकृत हैं	
	(ii) (a). प्रबंध निकायों के सदस्यों की सूची संलग्न करें	
	(b). विधान की एक प्रति संलग्न करें	

	(c) क्या प्रबंध समिति में नियमानुसार सदस्यों का मनोनयन है ? (यथा शिक्षक/प्राचार्य/महिला प्रतिनिधि)	
	(d) प्रबंध समिति के अंतिम निर्वाचन की स्थिति	
	(e) अध्यक्ष/सचिव के नाम/पत्ते/फोन/मोबाईल नं/ई-मेल एड्रेस	
14.	स्टाफ	
	(i) वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ, स्टाफ की योग्यता, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, स्थायी/अस्थायी/पूर्णकालिक/अंशकालिक/अतिथि व्याख्याता/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें।	
	(ii) क्या निर्धारित योग्यता प्राप्त प्राचार्य नियुक्त है ?	
	(iii) क्या प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापक पढ़ाये जा रहे संबंधित विषय में निर्धारित योग्यता प्राप्त हैं।	
	(iv) नवीन विषय/विषयों को प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप वांछित	
	अतिरिक्त स्टाफ	
	(i). प्राध्यापक	
	(ii). लिपिक	
	(iii). सहायक कर्मचारी	
	(v) महाविद्यालय को यदि पूर्व में संबद्धता प्राप्त है तो कार्यरत प्राचार्य/स्टाफ का विवरण संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करें।	
15.	भवन (मानचित्र संलग्न कर)	
	(i). क्या महाविद्यालय भवन प्रबंध की निजी संपत्ति है ?	
	(ii). क्या भवन लम्बी अवधि के लिए लीज पर प्राप्त किया गया है ? यदि हां तो लीज अनुबंध की एक प्रति संलग्न करें।	
	(iii). कक्षाओं की संख्या एवं उनके आवंटन का विवरण	
	(iv) क्या उपलब्ध सुविधाएं वर्तमान कक्षाओं के लिए पर्याप्त हैं।	
	(v) विस्तार एवं परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए आवेदित विषयों में सम्बद्धता प्राप्त कर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए कितने अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।	
	(vi) अधिकतम एक साथ पढ़ायी जाने वाली कक्षाओं की संख्या एवं एक वर्ग में छात्रों की अधिकतम निर्धारित संख्या	
	(vii) क्या महाविद्यालय भवन, बिजली एवं पानी की सुविधाओं से सज्जित हैं ?	
	(viii) क्या सभाएं आयोजित करने के लिए सभागार हैं ?	
	(ix) क्या स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष अलग पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष उपलब्ध है ?	
	(x) यदि महाविद्यालय पूर्व में संबद्धता प्राप्त है तो निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत करें।	
	(a) महाविद्यालय स्थापना वर्ष	



	(b) क्या महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कर लिया गया है ? (c) क्या महाविद्यालय के भूमि/भवन संबंधी दस्तावेज महाविद्यालय प्रबंध समिति के नाम से है (दस्तावेज संलग्न करें) (d) क्या महाविद्यालय के भवन में अन्य कोई (विश्वविद्यालय संबद्धता विषयों के अतिरिक्त) संकाय की कक्षाएं संचालित है ?	
	(xi) क्या महाविद्यालय किराए के भवन में संचालित है ? दस्तावेज संलग्न करें।	
16.	छात्रावास	
	(i) बाहर से आने वाले छात्रों के आवास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
	(ii) छात्रावास में अधिकतम कितने छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती हैं।	
	(iii) छात्रों के लिए प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक आवासीय सुविधा	
	(iv) नियमित अध्ययनरत छात्रों की संख्या	
	(v) क्या महाविद्यालय में सामान्य (कॉमन रुम) कक्ष है ?	
	(vi) क्या स्वास्थ्य परीक्षण की संतोषजनक व्यवस्था है ?	
17.	क्रीडागंग	
	(i) महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न खेलों की सुविधाओं का विवरण	
	(ii) क्या इन खेलों के लिए महाविद्यालय में पर्याप्त खेल के मैदान है ?	
	(iii) खेलाद्देशय के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त राशि	
	(iv) शारीरिक प्रशिक्षक का नाम, शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता संस्था एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से शिक्षा प्राप्त की है।	
18.	पुस्तकालय	
	(i) पुस्तकालय कक्ष का माप	
	(a) विषयवार उपलब्ध पुस्तकों का विवरण (उपलब्ध उपकरण, टैक्सट बुक, संदर्भ पुस्तके, जर्नलस आदि का पृथक-पृथक रूप से उल्लेख करें )	
	(b) पुस्तकालय समय का विवरण।	
	(c) वार्षिक व्यय का विवरण	
	(ii) वर्तमान में मंगाए जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं की संख्या	
	(iii) पुस्तकालयाध्यक्ष की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (संस्था एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से शिक्षा प्राप्त की है)	
	(iv) पुस्तकालय के लिए नियुक्त अन्य कर्मचारी की सूची	
	(v) क्या अध्ययन कक्ष/वाचनालय भली-भांति सुसज्जित है ?	
19.	फर्नीचर, उपकरण एवं यांत्रिक साज सज्जा आदि	
	(i) वर्तमान स्थिति (विषयवार स्वीकृत राशि)	

	(ii) आवेदित विषय में सम्बद्धता प्राप्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा वांछित आवर्ती एवं अनावर्ती अतिरिक्त अनुदान	
20.	प्रयोगशालाएं	
	(i) विज्ञान के लिए विषयवार उपलब्ध स्थान का विवरण	
	(ii) क्या प्रयोगशालाएं भली-भांति सुसज्जित हैं	
	(iii) विज्ञान के विभिन्न विषयों में उपकरण के क्रय के लिए निर्धारित राशि का विवरण	
	(iv) क्या आपूर्ति आदेश दे दिया गया है	
	(v) अतिरिक्त आवश्यक स्थान का विवरण	
	(vi) आवेदित विषय में सम्बद्धता प्राप्ति हेतु वांछित एवं प्रस्तावित अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान की राशि	
21.	अन्य विवरण जिसका उल्लेख अग्रलिखित बिन्दुओं में नहीं है और निरीक्षक दल उसका उल्लेख करना चाहता है तो उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करें।	
22.	क्या महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर यूजीसी/एनसीटीई/बीसीआई/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। (शपथ-पत्र संलग्न करें)	
23.	संस्था के विषय में सामान्य धारणा	
24.	क्या समिति सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा करती है ?	
25.	अस्थाई सम्बद्धता हेतु लगाई गयी शर्तों सहित अनुशंसाओं का सारांश	

निरीक्षको के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

संयोजक

टिप्पणी : सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा करते समय प्रारम्भ में लगाई गई शर्तों को अनुपालना संस्था में स्टॉफ वित्तीय संसाधन एवं उच्च शिक्षा हेतु संस्था की उपयुक्तता इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता के विषय में पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रदान करने एवं कमोन्नत किए जाने की अनुशंसा करें।